र प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
पमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

Power Distribution to RM

र्भ संख्या 1485-88 /एसआईडीसी/ IA/ Direction to RMs दिनांक 04-10-12

**—:—: कार्यालय आदेश:—:—**

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यो के सुचारू/त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से प्रतिनिधायित अधिकारों के सन्दर्भ में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1358–61/एसआईडीसी/आईए–Direction to R.M. दिनांकित 19.9.2012 में स्पष्टता की दृष्टि से निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगा:–

<u>क्रम संख्या –1</u>

क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को 2000 वर्गमीटर तक के प्रतिनिधायनित अधिकारो के अन्तर्गत औद्योगिक एवं आवासीय भूखण्डों के हस्तान्तरण (पूर्ण लेवी के), उत्पाद/परियोजना परिवर्तन, समयविस्तारण तथा क्षेत्रफल मे 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण के प्रकरण आवंटन के केवल 4 वर्ष पुराने प्रकरण ही निस्तारित किये जाएगें तथा 4 वर्ष की अवधि से अधिक पुराने उपरोक्त प्रकृति के 2000 वर्गमीटर तक के(पुनर्जीवीकरण सहित) सभी प्रकरण अनुमोदन हेतु मुख्यालय अग्रसारित किये जाएगें। पट्टा–विलेख का निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 30 दिनों तक (क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करने का कार्य, पट्टाविलेख को आवंटी की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन, भूखण्ड का निरस्तीकरण/समपर्ण स्वीकार करना एवं धनराशि वापस करना, पूर्व की भॉति क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही रहेगा।

<u>क्रम संख्या –2</u>

क्षेत्रीय प्रबन्धकों/परियोजना अधिकारी/प्रभारी (औ0क्षे0) को प्रतिनिधायनित अधिकार सीमा 2000 वर्गमीटर से अधिक एवं 10,000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक एवं आवासीय भूखण्डों के हस्तान्तरण (पूर्ण लेवी के), उत्पाद/परियोजना परिवर्तन, समयविस्तारण, पुर्नगठन, आवंटी की मृत्यु के पश्चात वारिसानो के पक्ष में भूखण्ड का नियमितिकरण, किरायेदारी तथा क्षेत्रफल मे 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण के प्रकरण (पुर्नजीवीकरण को छोडकर) क्षेत्रीय स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा निष्पादित किये जाएगें।

<u>बिन्दु संख्या–3</u>

आवंटन से 4 वर्ष से अधिक पुराने एवं 2000 वर्गमीटर तक के सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटियों को आवंटन के पश्चात दी जाने वाली समस्त सुविधाओं हस्तान्तरण, उत्पाद/परियोजना परिवर्तन,अतिरिक्त उत्पाद, एक भूखण्ड पर आवंटी द्वारा दूसरी इकाई की स्थापना , देयों का रिशिड्यूलमेन्ट, समयविस्तारण, पुर्नगठन, आवंटी की मृत्यु के पश्चात वारिसानो के पक्ष में भूखण्ड का नियमितिकरण, किरायेदारी, क्षेत्रफल मे वृद्धि का

Scanned with CamScanner

upsidc

Continuation Sheet No............................

नियमानुसार नियमितीकरण, पुनर्जीवीकरण ,भवन मानचित्र स्वीकृति के प्रकरण का अनुमोदन प्रभारी (औ०क्षे०) के स्तर पर किया जाएगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 1485-88/एसआईडीसी–आईए– Direction to R.Ms. दिनांक 05-10-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, कैम्प मुख्यालय, कानपुर।
2. वित्त नियत्रंक, मुख्यालय, कानपुर।
3. प्रभारी (औ०क्षे०), मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner